तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 61/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
27.6.2024	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र राणाराम जी देवासी, जाति– देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर, इस्कॉन प्लाजा, पुराना सिनेमा हॉल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2023 को फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर, इस्कॉन प्लाजा, पुराना सिनेमा हॉल, सिरोही में प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र राणाराम जी देवी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (Loose) का नमूना संख्या S-2258 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./3022/Act/2023/3064 दिनांक 22.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 07.11.2023 को समय 8.30 ए.एम. पर फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर, इस्कॉन प्लाजा, पुराना सिनेमा हॉल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर की दुकान के निरीक्षण दौरान दुकान के अन्दर आम जन की बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (Loose) लगभग 10 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र कुमार को गवाह के समक्ष भरकर दी एवं दुकान में आमजन की बिक्री हेतु रखे हुए घी (Loose) में से 1600 ग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी को हिला मिलाकर एकरुप कर चार साफ, सूखी, खाली शीशियों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 61/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र कुमार व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ घी की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र कुमार व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दन दास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 09.11.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर, इस्कॉन प्लाजा, पुराना सिनेमा हॉल, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र कुमार पुत्र राणाराम जी देवासी से खाद्य पदार्थ घी (Loose) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (Loose) के नमूना संख्या S-2258 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./3022/Act/2023/3064 दिनांक 22.11.2023 में खाद्य पदार्थ घी (Loose) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र राणाराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर, इस्कॉन प्लाजा, सिनेमा हॉल, सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (Loose) का विक्रय करके खाद्य	

.....लगातार

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 61/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी के विक्रय हेतु प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र राणाराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर, इस्कॉन प्लाजा, सिनेमा हॉल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र राणाराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सारणेश्वर दूध पार्लर, इस्कॉन प्लाजा, सिनेमा हॉल, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30.7.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested